


07/11/2019

अधिकारिता वाली उपस्थित है। बाकी का
बाद शाहीनामा के आधार पर निर्णित
हो चुका है ऐसे में अब इस प्रार्थना
पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता
नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी
अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वार्थिक
किरा जाता है। पत्रवली निर्णय में
शुमार होकर नम्बर से कम हो लव
बाद लामील लकमील दाखिल दफ्तर
हो।


उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालाबाद
(राजस्थान)

